

सं.ए-33025/01/2017-एड.।

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक,  
नई दिल्ली 23, फरवरी, 2017

विषय: व्यय विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

\*\*\*\*

पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम के पूर्वस्नातकों/स्नातकोत्तर अध्ययनरत स्नातकों या शोधरत परास्नातकों के लिए व्यय विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य और दिशानिर्देश/मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ क्रमशः पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों के अध्ययनरत, स्नातकोत्तर अध्ययनरत और शोधरत इच्छुक एवं योग्य पूर्वस्नातकों, स्नातकों और परास्नातकों को सरकार की आर्थिक नीतियों के निरूपण की समग्र प्रक्रिया से परिचित कराना।</li><li>❖ यह प्रशिक्षण व्यय विभाग में न तो कोई नौकरी है और न ही किसी नौकरी का आश्वासन।</li></ul>
पात्रता	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विश्विद्यालयों/संस्थानों से अर्थशास्त्र/वित्त/प्रबंधन में स्नातकोत्तर शोध पाठ्यक्रमों और विधि/किसी अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम के चौथे और पांचवें वर्ष में अध्ययनरत भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि - (क) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र के पास प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि हो; (ख) अर्थशास्त्र/वित्त/प्रबंधन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों; और (ग) 5 वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम के चौथे और पांचवें वर्ष के छात्रों ने अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 80% अंक प्राप्त किए हों।
अवधि	प्रशिक्षण की अवधि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अलग-अलग समय पर दो से छह माह होगी।
टोकन पारिश्रमिक	प्रशिक्षण संतोषजनक ढंग से पूरा करने पर और अपनी रिपोर्ट/शोध पत्र प्रस्तुत करने पर प्रति प्रशिक्षु 10,000/- रुपए प्रति माह की दर से टोकन पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
गोपनीयता की घोषणा	प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने से पहले विभाग को गोपनीयता की घोषणा देनी होगी।
संचालन सहायता	प्रशिक्षुओं को आवश्यक संचालन सहायता अर्थात् कार्यालय स्थल और इन्टरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा।